Reader ... Ad.

फर्द अहकाम

भरत बनाम रेखा

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 67/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26/11/24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस पूर्व में सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 502, 504, 504/1, 504/10, 504/11, 504/12, 504/13, 504/14, 504/15, 504/16, 504/17, 504/18, 504/19, 504/2, 504/20, 504/21, 504/3, 504/4, 504/5, 504/6, 504/7, 504/8, 504/9 कुल किता 23 कुल रकबा 9.4838 स्थित ग्राम सांभरिया प. ह. सांभरिया तह. बस्सी जि. जयपुर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 लगा 4 के पूर्वज श्रवण पुत्र तुलसा के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है यानिकी भूमिवादग्रस्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं एक लगायत चार की पैतृक भूमि रही है। विवादित भूमि प्रार्थीगण के दादा श्रवण पुत्र तुलसा के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है एवं विवादित भूमि अप्रार्थी सं एक की स्वोपार्जित सम्पत्ति नहीं होकर पूर्वजो के जमाने से चली आ रही पैतृक सम्पत्ति है एवं विवादित भूमि पैतृक होने के कारण	

फर्द अहकाम

शरद बनाम रेखा

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 67/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे वर्णित प्रावधानो के तहत प्रार्थीगण का उसके बाई बर्थ राइट है इसलिए प्रार्थीगण के नाना श्रवण पुत्र तुलसा की मृत्यु के पश्चात राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी सं० एक द्वारा जो अपना अकेले का नाम दर्ज करवाया गया है वह प्रार्थीगण के हक व अधिकारो के मुकाबले शून्य है एवं अप्रार्थी सं- एक रिश्ते मे प्रार्थीगण की माता लगती है एवं प्रार्थीगण को उनके वैध हक व अधिकारो से महरूम करने के लिये एवं लोगो के बहकावे मे आकर विवादित भूमि का विक्रय करने आमादा है जबकि विवादित भूमि अप्रार्थी सं० 1 की स्वोपार्जित सम्पत्ति न होकर प्रार्थीगण के नाना श्रवण के जमाने से चली आ रही पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का बाई बर्थ राइट है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे राजस्व

Reader
T.A. Ias Ad.

फर्द अहकाम

भरत बनाम रेखा

यालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 07/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	रिकार्ड मे परिवर्तन नही करे एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौके कि यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त हम पाते है कि अप्रार्थी सं. 1 लगा 4 रिकार्डेड खातेदार है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीन अवयव का देखा जाना आवश्यक है प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति चूंकि प्रार्थीगण विवादित आराजी मे रिकार्डेड काबिज काश्तकार नही है एवं अप्रार्थी सं. 1 लगा 4 रिकार्डेड काबिज खातेदार है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे नही बनता है। उक्त रिकार्डेड काबिज खातेदार के पक्ष मे अपूरणीय क्षति मानी जाती है अत: अपूरणीय क्षति का तथ्य भी प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रमाणित है। सुविधा का संतुलन जब प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के विरुद्ध है	

फर्द अहकाम

भरत बनाम रेखा

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 67/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
		इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक तीनो अवयव विरुद्ध प्रार्थीगण होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	